न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 11/2017 (223 आरटीए) पप्पाराम बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00117)

पप्पाराम पुत्र श्री खींयाराम जाति विश्नोई निवासी उम्मदेनगर, तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ओसियां, तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 27.06.2016 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 33/2004

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अणदाराम चौधरी।

2 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 16.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसियां के राजस्व वाद सं. 33/2004 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसियां के समक्ष धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट की ओर से राजस्व वाद सं. 33/2004 पेश कर जाहिर किया कि ग्राम उम्मेदनगर के खसरा नं. 455 रकबा 1205 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै.मु. मगरा भूमि स्थित है। जिसमें से रकबा 15 बीघा भूमि जिसके पड़ोस पूर्व में गै.मु.भाखर, पश्चिम में रामूराम की भूमि, उत्तर में बलदेवराम राव की भूमि व दक्षिण में

गै.मु. भाखर है। उसमें वादी का कब्जा काश्त बहैसियत काश्तकार के कदीमी से चला आ रहा है। उपरोक्त पड़ोस के बीच की भूमि रकबा 15 बीघा पर वादी का कब्जा काश्त बहैसियत काश्तकार राजस्थान टेनेंसी एक्ट संवत 2012 में लागू होने से पूर्व भी था जो आज दिन तक है। जिसके नकल गिरदावरी वास्ते सबूत संलग्न की गई है। वादी गांव का अनपढ़ व्यक्ति होने से तथा वक्त पेमाइस खेत पर हाजिर नहीं होने से भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा भूल से उक्त भूमि को गै.मु. मगरा दर्ज कर दिया जो सरासर गलत है। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा टेनेंसी एक्ट लागू होने से के समय से संवत 2012 से आज तक निरंतर होने से उक्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित करवाने का हकदार है। जिसके लिए वाद प्रस्तुत किया गया। वादी के कब्जे में कभी किसी ने दखल नहीं किया था। सन् 2002 के जून माह में ग्राम उम्मेदनगर में नियमन आवंटन शिविर लगा जिसमें वादी ने भी उक्त भूमि को नियमन करने का आवेदन दिया किंतु वादी का मामला जिनाइन होने के बावजूद भी नियमन नहीं किया गया एवं हल्का पटवारी द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेखल करने की धमकी दी तब वादी ने अपने उक्त वाद बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया जो दिनांक 19.05.2015 तक प्रकरण साक्ष्य वादी में चलता रहा। तारीख पेशी दिनांक 27.06.2016 को उक्त प्रकरण कैंप कोर्ट अटल सेवा केन्द्र उम्मेद नगर में प्रस्तुत किया जिसकी सूचना ना तो किसी भी माध्यम से अपीलांट को प्राप्त हुई और न ही ऐसा कोई सम्मन ही जारी किया गया। प्रकरण में दिनांक 27.06.2016 को अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिए जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अणदाराम चौधरी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अपीलांट को बिना अपीलांट की सहमति व सूचना के लोक अदालत में रख दिया व सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना व बहस का अवसर दिए बिना आलोच्य निर्णय पारित किया गया, जबकि पत्रावली दिनांक 19.05.2015 तक साक्ष्य प्रतिवादी में चल रही थी तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.05.2016 मुकर्रर की गई थी परंतु उक्त तारीख पेशी दिनांक 11.05.2016 के बजाए तारीख पेशी दिनांक 27.06.2016 मुकर्रर कर उक्त

प्रकरण को लोक अदालत/कैंप कोर्ट अटलसेवा केन्द्र उम्मेद नगर में बिना प्रार्थी की सहमति के प्रस्तुत कर दिया गया, जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। अपीलांट व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय में यह अंकन किया है कि पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार तिंवरी, पैरोकार सरकार से रिपोर्ट ली गई जिससे यह भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होने से नियमन या खातेदारी दिया जाना नियमानुसार उचित नहीं हैं, जिस रिपोर्ट पर बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के न्यायालय के दृष्टि पटल पर प्रस्तुत करवाए व इस संबंध में प्रतिवादी के साक्ष्य कलम बद्ध किए बिना ही वाद पत्र को खारिज कर दिया है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज किए जाने योग्य होने से अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज करने का निवेदन किया। इसके अलावा अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपील देरी से पेश की गई है जिसके लिए धारा–5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का वयोवृद्ध व्यक्ति है जिसको कानूनी प्रक्रियाओं का कोई ज्ञान व जानकारी नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय के पारित होने के पश्चात अपीलांट अपनी वृद्धावस्था के चलते हुए बीमार हो जाने से व उसका उसके अधिवक्ता से संपर्क नहीं होने के कारण निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन फरमाया जाकर धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। अपीलांट ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र में यह वर्णित नहीं किया है कि उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी किस दिनांक को हुई तथा उस दिनांक से अपील को कितने दिन बाद पेश की गई है। इस प्रकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए योग्य नहीं हैं। अतः अपील मियाद बाहर मानी जावे। रेस्पो. के अधिवक्ता ने मैरिट पर बहस करते हुए यह निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जे के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे अपीलांट को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत खातेदारी प्रदान की जा सके। पत्रावली में संवत 2012 की गिरदावरी भी संलग्न नहीं की है। अतः अपील मैरिट पर भी खारिज किए जाने योग्य है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय ने सही तथ्यों के आधार पर पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज किए जाने हेतु निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है या नहीं इस बिंदु पर सर्वप्रथम निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.

2016 को पारित किया गया है जबकि अपील दिनांक 10.02.2017 को पेश की गई है जो करीब 8 माह बाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम के धारा–5 के प्रार्थना पत्र में केवल यह लिखा है कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश का वयोवृद्ध व्यक्ति है जिसको कानूनी प्रक्रियाओं का कोई ज्ञान व जानकारी नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय के पारित होने के पश्चात अपीलांट अपनी वृद्धावस्था के चलते हुए बीमार हो जाने से व उसका उसके अधिवक्ता से संपर्क नहीं होने के कारण निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। पत्रावली पर तारीख पेशी दिनांक 11.05.2016 नियत थी। जब दिनांक 11.05.2016 को पत्रावली तारीख पेशी पर नहीं आई तब अपीलांट या उनके अधिवक्ता को स्वयं के स्तर पर भी आगामी तारीख की जानकारी करनी चाहिए थी। अतः धारा–5 में वर्णित तथ्य स्पष्ट एवं विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

8 प्रकरण में चूंकि मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः प्रकरण में मैरिट पर निर्णय करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

9 अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2016 यथावत रखा जाता है।

16/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00117)

अपील संख्या 11/2017

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.पप्पाराम पुत्र श्री खीयांराम जाति विश्नोई निवासी उम्मेदनगर,तहसील ओसिया जिला जोधपुर।	बनाम	1.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार ओसिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर,बाप एवं उपखण्ड अधिकारी ओसिया दिनांक 27.06.2016 अन्तर्गत राजस्व वाद सं 33/2004

यह अपील बतारीख 16/07/2018 बहाजरी अधिवक्ता श्री अणदाराम चौधरी एवं रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर,एवं उपखण्ड अधिकारी,ओसिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06.2016 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ......00.......) रूपये ....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का ....00....... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 16.07.2018 को जारी हो किया गया।

16/7/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत्		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा	
मीजान		मीजान	

16/7/18
(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर